UPHR010012602023

**न्यायालय जनपद न्यायाधीश, हरदोई।**

नियमित दीवानी अपील सं०–32/2023

अमित कुमार सिंह.....बनाम.....रोहित कुमार सिंह चौहान आदि

**दिनांकः 07.11.2025**

1– पत्रावली आदेश हेतु नियत है।

**निस्तारण प्रार्थनापत्र 19ग**

2– प्रार्थनापत्र 19ग प्रार्थी/विपक्षी रोहित सिंह चौहान की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांकित 26.04.2022 के विरूद्ध आदेश–9 नियम–13 दी०प्र०सं० का प्रार्थनापत्र अवर न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है, जो अवर न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें अग्रिम पेशी दिनांक 07.03.2024 नियत है। प्रार्थनापत्र आदेश–9 नियम–13 दी०प्र०सं० के प्रार्थना का विचारण व उपरोक्त अपील का विचारण एक साथ किया जाना न्यायोचित नहीं है। इस कारण न्यायहित में उपरोक्त अपील निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार कर प्रकीर्ण अपील निरस्त किए जाने अथवा न्यायोचित आदेश पारित किए जाने की याचना की गयी है।

3– उपरोक्त प्रार्थनापत्र के विरूद्ध निवेदक/अपीलार्थी अमित कुमार सिंह की ओर से आपत्ति 20ग प्रस्तुत की गयी है कि प्रार्थनापत्र यथा प्रेषित उत्तरदाता misconceived है और विधान रहित है। आदेश–9 नियम–13 दी०प्र०सं० एवं अपील धारा 96 जा०दी० simultaneously चलाए जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। प्रार्थनापत्र अविधिक एवं अनियमित है तथा अनावश्यक विलम्ब कारित करने के बेजा इरादा से प्रेषित किया गया है। अतः आवेदनपत्र 19ग सव्यय खारिज किए जाने की याचना की गयी है। अपीलार्थी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में N. Mohan Vs. R. Madhu, Civil Appeal No. 8898 of 2019 (Arising out of SLP (C) No. 20686 of 2018), Decided on 21st November, 2019 (Supreme Court of India) विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी है।

4– मेरे द्वारा पूर्व तिथि पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की विद्वत बहस सुनी जा चुकी है।

5– पत्रावली का परिशीलन किया।

6– पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रश्नगत अपील अंतर्गत धारा 96 दीवानी प्रक्रिया संहिता, मूल वाद संख्या 499/2019 रोहित कुमार सिंह चौहान बनाम ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त आदि में न्यायालय अपर सिविल जज(जू०डि०), कोर्ट संख्या–4, हरदोई द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.04.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रार्थनापत्र 19ग विपक्षी द्वारा अपील को निरस्त किये जाने हेतु इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि आदेश दिनांक 26.04.2022 के विरूद्ध अपीलकर्ता द्वारा आदेश–9 नियम–13 दी०प्र०सं० का प्रार्थनापत्र भी अवर न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है। आदेश–9 नियम–13 दी०प्र०सं० के प्रार्थनापत्र व उपरोक्त अपील का विचारण एक साथ किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतएव अपील निरस्त की जाए एवं न्यायोचित आदेश पारित किया जाए।

7– अपील की पत्रावली के साथ मूल वाद संख्या 499/2019 रोहित कुमार सिंह चौहान बनाम ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त आदि की पत्रावली संलग्न है, के निर्णय दिनांक 26.04.2022 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि मूल वाद सं० 499/2019 वादी मुकदमा रोहित कुमार सिंह के द्वारा प्रतिवादी सं०–01 ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त शाखा जगदीशपुर परगना बावन तहसील व जिला हरदोई व प्रतिवादी सं०–02 अमित कुमार सिंह पुत्र श्रीराम सिंह भदौरिया निवासी ग्राम रहतौरा पो० व परगना पाली तहसील सवायजपुर जिला हरदोई के विरूद्ध इस आशय की घोषणात्मक आज्ञप्ति की याचना हेतु प्रस्तुत किया गया है। ''प्रतिवादी सं०–01 बैंक प्रतिष्ठान के खाता सं० 022310110000749 में मृतक श्रीमती संध्या सिंह भदौरिया उपरोक्त नाम से जमा धनराशि 54,000/– रूपए के अलावा ब्याज पंजीकृत वसीयत दिनांकित 05.10.2018 जिसका पंजीकरण वही सं० 3 जिल्द सं० 324 के पृष्ठ 197 से 214 तक क्रमांक 601 पर दिनांक 05.10.2018 को किया गया है, के आधार पर वादी भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी है। मूल वाद सं० 499/2019 की कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 2 (अपीलार्थी) की अनुपस्थिति के कारण एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी एवं निर्णय दिनांक 26.04.2022 के द्वारा वादी (अपील के विपक्षी संख्या 2) का वाद घोषणात्मक आज्ञप्ति के संबंध में सव्यय आज्ञप्त किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपनी आपत्ति 20ग में कथन किया गया कि आदेश–9 नियम–13 दी०प्र०सं० एवं अपील धारा 96 दी०प्र०सं० एक साथ चलाये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। अपीलार्थी द्वारा आदेश–9 नियम–13 दी०प्र०सं० का प्रार्थनापत्र भी संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करना स्वीकार किया गया है।

8– अपीलार्थी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में N. Mohan Vs. R. Madhu, Civil Appeal No. 8898 of 2019 (Arising out of SLP (C) No. 20686 of 2018), Decided on 21st November, 2019 (Supreme Court of India) विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी है। प्रतिवेदित विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, माननीय उच्चतम न्यायालय के ही Bhanu Kumar Jain Vs. Archana Kumar and others (2005) (1) SCC 787 एवं Neeraja Relators (P) Ltd. Vs. Janglu (deceased) द्वारा वाद वारिसान (2018) SCC 649 में प्रतिपादित सिद्धांत को उद्धृत किया गया है, जिसके अनुसार *''प्रतिवादी जिसके विरूद्ध एकपक्षीय आज्ञप्ति पारित हुयी है, के पास दो विकल्प है– प्रथम– अपील दाखिल करने का, द्वितीय– आदेश–9 नियम–13 दी०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने का। प्रतिवादी दोनों प्रक्रियाओं का आश्रय एक साथ ले सकता है। आदेश–9 नियम–13 दी०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण अपील का अधिकार छीन नहीं जाता है, किन्तु यदि अपील निरस्त हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप एकपक्षीय आज्ञप्ति अपीलीय न्यायालय के*

*आदेश में समेकित हो जाती है, आदेश–9 नियम–13 दी०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं होगा।''*

9– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था N. Mohan Vs. R. Madhu, Civil Appeal No. 8898 of 2019 (Arising out of SLP (C) No. 20686 of 2018), Decided on 21st November, 2019 (Supreme Court of India) में यह भी कहा गया है किया गया है कि ''एक चालाक पक्षकार पहले आदेश–9 नियम–13 दी०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर उसे उच्चतम मंच तक ले जा सकता है। तदोपरांत धारा 96(2) दी०प्र०सं० के अन्तर्गत एकपक्षीय आज्ञप्ति की चुनौती दे सकता है तथा ऐसी स्थिति में वादी का काफी समय विनिष्ट हो सकता है।'' माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्धांत के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि एकपक्षीय आज्ञप्ति के विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा उक्त आदेश को अपास्त किये जाने के लिये प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश–9 नियम–13 दी०प्र०सं० व धारा 96 दी०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील दोनों विकल्प का प्रयोग एक साथ किया जा सकता है। अतएव आदेश–9 नियम–13 दी०प्र०सं० के अन्तर्गत अपीलार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने के आधार पर अपील निरस्त किये जाने के संबंध में विपक्षी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 19 ग स्वीकार्य नहीं है एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

प्रार्थी/विपक्षी संख्या 1 रोहित सिंह चौहान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 19 ग निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते आपत्ति निस्तारण 3 क दिनांक 25.11.2025 को पेश हो।

(रीता कौशिक)
जनपद न्यायाधीश,
हरदोई